संख्या-43/2025/I/893576/2025/71-1099(099)/44/2024

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 28 फरवरी, 2025**

विषयः- राजकीय मेडिकल कालेजों में रोगी कल्याण समिति (आर0के0एस0) का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2024/3006, दिनांक 26.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में कालेज अस्पताल के रख-रखाव एवं मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त ओ0पी0डी0 एंव आई0पी0डी0 मरीजों से यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग एंव प्रबन्धन हेतु प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में रोगी कल्याण समिति का गठन किये जाने के प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में मरीजों से यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि वर्तमान व्यवस्थानुसार सुसंगत मद के अंतर्गत राजकोष में जमा की जाती है, जिसके कारण इस धनराशि का उपयोग कालेज अस्पताल के रख-रखाव एवं मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त उपयोग नहीं हो पाता है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय मेडिकल कालेजों में कालेज अस्पताल के रख-रखाव एवं मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त ओ0पी0डी0 एंव आई0पी0डी0 मरीजों से यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग एंव प्रबन्धन हेतु प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में रोगी कल्याण समिति का निम्नानुसार गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

रोगी कल्याण समिति का संगठन एंव स्वरूप -

क्र0	**पदनाम**	**प्रास्थिति**
1	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2	प्रमुख अधीक्षक	सदस्य संयोजक-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4	वित्त नियंत्रक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा एंव चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में रूचि रखने वाले नामित 02 गैर-सरकारी सदस्य	सदस्य

<u>रोगी कल्याण समिति का उद्देश्य-</u>

1. राजकीय मेडिकल कालेज के रोगियों के सम्मुख आ रही समस्याओं को चिन्हित करना एवं उनका समाधान करना।
2. राजकीय मेडिकल कालेज हेतु उपकरण, फर्नीचर एवं एम्बुलेंस की मरम्मत एवं रख-रखाव करना।
3. कालेज अस्पताल भवनों के रख-रखाव सम्बन्धी छोटे-मोटे कार्य।
4. रोगियों एवं उनके सम्बन्धियों के लिए कम दरों पर ठहरने एवं भोजन, औषधि की व्यवस्था।
5. कालेज अस्पताल में सफाई, लॉन्ड्री एवं परिवहन/पार्किंग की व्यवस्था।
6. जीवन रक्षक दवाओं, आक्सीजन, ब्लड/ब्लड कम्पोनेंट की उपलब्धता।
7. मरीजों एवं तीमारदारों की शिकायतों का निस्तारण।
8. चिकित्सालय के सम्यक प्रबंधन हेतु अनुकूल एवं स्थायी व्यवस्था अपनाया जाना, जैसे- चिकित्सालय अपशिष्ट का मानकानुसार वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण, सौर प्रकाश व्यवस्था, जल संरक्षण एवं जल संचयन प्रणाली इत्यादि।
9. मरीजों एवं तीमारदारों हेतु चिकित्सालय परिसर में सम्यक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं आवागमन मार्ग तथा स्वच्छ चिकित्सा परिसर की सुविधा सुनिश्चित किया जाना।
10. यूजर चार्जेज के संग्रह एवं व्यय के अभिलेखों का समुचित रखरखाव।
11. समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना।

<u>कार्य</u>- रोगी कल्याण समिति (आर0के0एस0) द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुये यूजर चार्जेज का उपयोग निम्न कार्यों पर किया जाए-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. मेडिकल कालेज अस्पताल के नियमित रख-रखाव एवं मरम्मत, प्राथमिकता के आधार पर फायर सेफ्टी/इलेक्ट्रिक सेफ्टी इत्यादि।
2. चिकित्सालय में प्रयुक्त उपकरण एवं फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव।
3. आपातकालीन चिकित्सा में उपयोग में आने वाली उपभोग्य (Consumables) सामग्री (ECG, Paper, X-Ray plate) आदि का क्रय।
4. चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता, सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन।
5. चिकित्सालय परिसर में जनसामान्य हेतु सार्वजनिक सूचना प्रणाली, दिशा-निर्देशक चिन्ह (साइनेज) एवं विभिन्न रोगों से बचाव हेतु सूचना पट्ट।
6. रोगियों एवं उनके सम्बन्धियों के लिए कम दरों पर ठहरने एवं भोजन, औषधि की व्यवस्था।
7. स्वच्छ चिकित्सा परिसर की सुविधा एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
8. रोगी कल्याण से सम्बंधित अन्य कोई कार्य, जिसे समिति उचित समझे।

<u>रोगी कल्याण समिति की कार्यवाही</u> -

रोगी कल्याण समिति द्वारा अपनी वार्षिक कार्य-योजना तैयार करते हुये वर्ष में न्यूनतम चार बार समिति की बैठक (त्रैमासिक) आहूत की जायेगी, जिसमें वार्षिक कार्य-योजना के अनुरूप विगत तीन माहों में रोगी कल्याण समिति द्वारा किये गये कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए इसके अनुमोदनोपरान्त कार्यवृत्त निर्गत किया जायेगा, जिसकी प्रति सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/शासन एवं महानिदेशालय को भी यथासमय प्रेषित की जायेगी।

रोगी कल्याण समिति द्वारा यूजर चार्जेज के माध्यम से एकत्रित की गयी धनराशि का उपयोग करते समय यह सावधानी रखी जाएगी कि समान मदों पर होने वाले व्यय की द्विरावृत्ति (**Duplicacy**) ना हो।

<u>लेखा एवं सम्प्रेक्षा-</u>

रोगी कल्याण समिति द्वारा यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि की सम्प्रेक्षा मेडिकल कालेजों को प्रतिवर्ष आय-व्ययक के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्राविधानित धनराशि की ही भॉति आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय से कराई जायेगी।

शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से किया जाने वाला व्यय तथा रोगी कल्याण समिति द्वारा यूजर चार्जेज के माध्यम से एकत्रित की गयी धनराशि से किये जाने वाले व्यय का सम्यक लेखांकन (**Accounting**) पृथक-पृथक किया जाएगा तथा उसमें द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यूजर चार्जेज के माध्यम से एकत्रित की गयी धनराशि से किये गए व्यय का ऑडिट समयानुसार/नियमानुसार कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>बैंक एकाउन्ट</u> -

यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से आर0के0एस0 एकाउण्ट खोलते हुये उसमें रखी जायेगी, जिससे उसके प्राप्त होने एवं खर्च होने की सम्पूर्ण जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सके।

भविष्य में यदि रोगी कल्याण समिति के स्वरूप एवं इसके संचालन के सम्बन्ध में किसी परिमार्जन/ संशोधन की आवश्यकता प्रकट हो, तो तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से की जा सकेगी।

भवदीय,

पार्थ सारथी सेन शर्मा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, आगरा/कानपुर/मेरठ/झांसी/गोरखपुर/प्रयागराज/सहारनपुर/कन्नौज/बदायूँ/अम्बेडकरनगर/बांदा/आजमगढ़/जालौन।
2. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा/कानपुर/मेरठ/झांसी/गोरखपुर/प्रयागराज/सहारनपुर/कन्नौज/बदायूँ/अम्बेडकरनगर/बांदा/आजमगढ़/जालौन।
4. समस्त वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in